ग्राम पंचायत बैरी रज़ादियां, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 04/2013 से 03/2016

भाग–एक

1 **प्रस्तावना (क):–** ग्याहरवें वित आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006.12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र•, को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत बैरी रज़ादियां, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :–

प्रधान :–

क्र•	नाम	अवधि
1	श्रीमति निशा चंदेल	01.04.2013 से 22.01.2016
2	श्री राजीव सिंह	23.01.2016 से 31.03.2016

सचिव :–

क्र•	नाम	अवधि
1	श्रीमति कान्ता शर्मा	01.04.2016 से 17.11.2013
2	श्री रूप लाल	18.11.2013 से 31.03.2016

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:– ग्राम पंचायत बैरी रज़ादियां, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओ के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है

क्र•	पैरा सं•	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5	रोकड़ बही तथा बैंक खातों के दिनांक 31–03–2016 के अन्त शेष में अन्तर	0.01
2	6	वित्तीय नियमों की अवहेलना	––
3	6.3	खाता 'ख' के ब्याज को खाता 'क' में अन्तरित न किया जाना।	0.96
4	8	निर्धारित सीमा से अधिक नकद हस्तगत राशि रखना	––
5	12	अनुदान राशियों का अवरोधन	12.82
6	13	संदिग्ध व्यय	2.94
7	14	निविदाओं के बिना किया गया क्रय	1.45
8	18	मनरेगा में पाई गई विसंगतियां	––
9	19	निर्माण कार्यों में पाई गई विसंगतियां	––

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत बैरी रज़ादियां, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं का प्रथम एव वर्तमान अंकेक्षण श्री दिनेश चन्द्र लखनपाल, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 06/08/2016 से 17/08/2016 तक ग्राम पंचायत बैरी रज़ादियां के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः 11/2013, 09/2014, 01/2016 व 11/2013, 09/2014, 08/2015 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र• उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत बैरी रज़ादियां, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000/–बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र• शिमला–171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं• अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2015–16/–175 दिनांक 17/08/2016 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति :–

पंचायत सचिव़ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थीः–

4.1 स्व स्त्रोत :– ग्राम पंचायत के अवधि 04/2013 से 03/2016 तक स्व स्त्रोतों (खाता 'क') की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया है :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	61278	110590	171868	134950	36918
2014–15	36918	30280	67198	63662	3536
2015–16	3536	90729	94265	58489	35776

4.2 **अनुदानः–** ग्राम पंचायत के अवधि 04/2013 से 03/2016 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति (खाता 'ख') का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया हैः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	863384	2507968	3371352	2835772	535580
2014–15	535580	2669599	3205179	2282116	923063
2015–16	923063	2505061	3428124	2146436	1281688

5 बैंक समाधान विवरणी तैयार न किए जाने के कारण रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों के अन्त शेष में ₹745/– का अन्तर :–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई है। जिस कारण से वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31–03–2016 को निम्न विवरणानुसार रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में **₹**745/–का अन्तर बैंक खातों में अधिक शेष के रूप में है।

क्र॰	खाता					अन्त शेष (₹)
	रोकड़ बही की वित्तीय स्थिति के अनुसारः–					
1	रोकड़ बही के अनुसार खाता 'क' – पैरा 4(1)					35776
2	रोकड़ बही के अनुसार खाता 'ख' – पैरा 4(2)					1281688
कुल योग (क):						**1317464**
बैंक खातों में उपलब्ध अन्तशेषः–						
	विवरण	**बैंक**	**खाता**	**बैंक शेष**	**हस्तगत ष्शेष**	**कुल**
1	सामान्य निधि–खाता 'क'	हि॰प्र॰रा॰स॰ बैंक बैरी	5361	35564	212	35776
2	अनुदान खाता–खाता 'ख'	हि॰प्र॰रा॰स॰ बैंक बैरी	5304	729913	2440	732353
3	मनरेगा	हि॰प्र॰रा॰स॰ बैंक बैरी	5732	0	0	0
4	12वां व 13वां वित्तायोग	हि॰प्र॰रा॰स॰ बैंक बैरी	6082	147724	4987	152711
5	इन्दिरा/अटल आवास योजना	हि॰प्र॰रा॰स॰ बैंक बैरी	6179	179801	0	179801
6	आई डबल्यू एम पी	हि॰प्र॰रा॰स॰ बैंक बैरी	7829	1468	0	1468
7	राजीव आवास योजना	हि॰प्र॰रा॰स॰ बैंक बैरी	7825	32012	0	32012
8	स्वजल धारा	यूको बैंक बैरी	3930	184088	0	184088
कुल योग (ख):				**1310570**	**7639**	**1318209**
रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर (क – ख):						**745**

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) एवं 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड बही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी का तैयार किया जाना अनिवार्य था। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरूद्व होने के कारण अनियमित है। अतः इस

अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

6 वित्तीय नियमों की अनुपालना न करनाः–

6.1 रोकड़ बही का निर्माण नियमानुसार न करनाः–

ग्राम पंचायत की रोकड बहियों के अवलोकन में पाया गया कि हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1 से 3) की रोकड़ बही के निर्माण में पूर्ण अवहेलना की जा रही है। लेखों की जांच में रोकड़ बही के सन्दर्भ में नियम–विरूद्ध की जा रही निम्न विसंगतियां पाई गई हैंः–

6.1 (क) नियमविरूद्ध एकाधिक रोकड़ बहियों का निर्माण करने बारेः–

हि• प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अन्तर्गत पंचायत के समस्त लेनदेन को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित किए जाने का प्रावधान है। परन्तु पंचायत द्वारा पंचायत निधि एवं अनुदान खाता 'क' व खाता 'ख', मनरेगा, 12वां व 13वां वित्तायोग, आई डबल्यू एम पी तथा इन्दिरा/अटल/राजीव आवास योजना के लिए पांच अलग – अलग रोकड़ बहियों का निर्माण किया गया है। अतः नियमों के विरूद्ध एक के स्थान पर निर्मित इन पांच रोकड़ बहियों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन अतिरिक्त रोकड़ बहियों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

6.1 (ख) रोकड़ बहियों के दैनिक व मासिक शेष न निकालने बारेः–

लेखांकन के सामान्य तथा प्रचलित नियमों के अनुसार रोकड़ बही प्रतिदिन हुए लेनदेन की प्रविष्टियों उपरान्त बन्द करते हुए अन्तशेष निकालना आवश्यक है तथा मासान्त एवं वर्षान्त में उपलब्ध हस्तगत शेष तथा बैंक शेष का विवरण हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(2 व 3) के अनुसार भी पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है। यद्यपि रोकड़ बहियां पंचायत प्रधान द्वारा हस्ताक्षरित तो की गई हैं परन्तु न तो इनमें अन्त शेष निकाले गए हैं और न ही नियमानुसार उनका सत्यापन हुआ है। रोकड़ बहियों के अन्त शेष न निकालने तथा बैंक खातों के साथ मिलान न किए जाने के कारण यह सम्पूर्ण तथा सही स्थिति प्रस्तुत नहीं करता है। अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

6.1 (ग) लैजर खातों का निर्माण न किये जाने बारेः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(1) के अनुसार पंचायत में चलाई जा रही समस्त योजनाओं के लिए फॉर्म 7 में लैजर खातों का निर्माण किया जाना अपेक्षित था परन्तु ग्राम पंचायत बैरी रज़ादियां में इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा लैजर खातों के स्थान पर गत उप पैरा में वर्णित विभिन्न योजनाओं के लिए अलग–अलग पांच रोकड़ बहियों का निर्माण करने को ही इस नियम की अनुपालना मान लिया गया है। प्रत्येक योजना के लिए अलग लैजर बनाए जाने का उद्देश्य किसी भी समय तुरन्त योजना विशेष के सन्दर्भ में वित्तीय स्थिति तथा उपलब्ध अन्तशेष की जानकारी की उपलब्धता है। परन्तु इन लैजर खातों का निर्माण न करके इस नियम की अवहेलना तो की ही गई है साथ ही जब कभी उपरोक्त सूचनाओं की आवश्यकता पड़ती है तो बार बार आंकड़ों का संकलन करने में समय तथा मानव श्रम की अनावश्यक बरबादी होती है। अतः नियमों के विरूद्ध अपनाई गई इस कार्यविधि बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन लैजर खातों का निर्माण नियमानुसार करना सुनिश्चित किया जाए।

6.2 नियमों के विरूद्ध आठ बैंक बचत खातों का खोला जानाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1 व 2) पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है। जिसमें से खाता 'क' में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता 'ख' में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है। परन्तु ग्राम पंचायत बैरी रज़ादियां में दो के स्थान गत पैरा 4(1) में वर्णित आठ बैंक बचत खाते खोले गए हैं। अतः नियमों के विरूद्ध खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन छः अतिरिक्त खातों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

6.3 खाता 'ख' के ₹96,921/– के ब्याज को खाता 'क' में अन्तरित न किया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी तथा जुलाई में पंचायत द्वारा खाता 'ख' में अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयँ संसाधनों के खाता 'क' में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत बैरी रज़ादियां के बैंक खातों की जांच में पाया गया कि इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है। निम्न तालिका के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹96,921–खाता 'ख' से सम्बन्धित बचत खातों में ब्याज के रूप में अर्जित किए गए थे जिन्हें उपरोक्त नियम की अनुपालना में खाता 'क' में अन्तरित किया जाना था परन्तु नहीं किया गया है। अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए अब तक खाता 'ख' के समस्त बैंक खातों में अर्जित ब्याज

को तुरन्त खाता 'क' में अन्तरित करते हुए भविष्य में नियमानुसार समय पर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

खाता सं0	माह/वर्ष						कुल ब्याज
	9/2013	3/2014	9/2014	3/2015	9/2015	3/2016	
5304	11432	6319	4196	3759	4806	9793	40305
5732	933	790	533	85	0	0	2341
6082	815	526	1900	2976	4526	2328	13071
6179	1447	2176	2420	2682	2234	2504	13463
7829	0	0	1397	3197	1439	29	6062
7825	0	0	164	602	617	629	2012
3930	2865	2970	3186	3497	3510	3639	19667
कुल योग	17492	12781	13796	16798	17132	18922	96921

6.4 क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट को तैयार न करनाः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट को तैयार करते हुए, एक आय तथा एक व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस ऐबस्ट्रैक्ट को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। परन्तु ग्राम पंचायत बैरी रज़ादियां द्वारा इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु साथ आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण करने में भी अतिरिक्त समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

6.5 रोकड़ बही से सीमेन्ट जारी करनाः—

पंचायत के लेखाओं की जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए खरीदे गए सीमेन्ट को एम• ए• एस• (मैटीरियल ऐट साइट) रजिस्टर/सीमेंट भण्डारण रजिस्टर से सम्बन्धित कार्य को जारी करने के स्थान पर इसे पुनः रोकड़ बही की आय में लेखांकित करते हुए व्यय की तरफ से जारी करने की प्रविष्टियां की गई हैं। रोकड़ बहियों की जांच में पाए गए प्रकरण नीचे दी गई तालिका में उद्धृत किए गए हैं। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र•	रो.ब.पृ.	दिनांक	बोरियां	प्र. बो. मूल्य	कुल लागत
	13वां वित्तायोग रोकड़ बहीः				
1	40	31.7.15	2	238.45	527.00

2	41	30.8.15	90	238.45	23710.00
3	42	30.9.15	20	211.25	4725.00
4	44	9.11.15	145	211.25	35344.00
5	46	28.11.15	7	238.45	1844.00
6	48	14.3.16	35	211.25	8369.00
7	49	31.3.16	126	238.45	35523.00
				कुल योगः	**109942.00**

7 निवेश के सन्दर्भ में टिप्पणियांः–

7.1 नियमानुसार निवेश न करनाः–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों (Surplus Funds) को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम लाभ कमाया जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत बैरी रज़ादियां द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई है तथा अंकेक्षणावधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में काफी मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2:– निवेश रजिस्टर का निर्माण करनाः–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 12(1) के अनुसार पंचायत द्वारा किए गए निवेश के सन्दर्भ में प्रारूप–1 के आधार पर निवेश रजिस्टर का निर्माण किया जाना अपेक्षित है। अतः भविष्य में नियम 11 की अनुपालना में किए जाने वाले निवेश के लिए नियमानुसार इस रजिस्टर का निर्माण भी सुनिश्चित किया जाए।

8 निर्धारित सीमा से अधिक नकद हस्तगत राशि का रखनाः–

पंचायत की रोकड बहियों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न तालिका में दिए गए विवरणानुसार नकद राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था, जो कि हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10(3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र	रो॰ ब॰ पृ॰	सीमा से अधिक रखी गई राशि	अवधि	
			से	तक
	13वां वित्तायोग रोकड़ बहीः			
1	39	2606.00	26.6.15	30.7.15
2	40	2834.00	31.7.15	29.8.15
3	41	3564.00	30.8.15	29.9.15
4	42	2347.00	30.9.15	30.10.15
5	43	1303.00	31.10.15	2.11.15
6	44	1044.00	3.11.15	8.11.15
7	45	5764.00	9.11.15	27.11.15
8	46	9419.00	28.11.15	28.2.16
9	47	4987.00	29.2.16	31.3.16
	खाता 'ख' रोकड़ बहीः			
10	160	3400.00	9.12.13	26.1.14
11	161	1750.00	27.1.14	30.3.14
12	167	3850.00	9.5.14	29.5.14
13	169	2000.00	30.5.14	26.6.14
14	169	2100.00	27.6.14	30.7.14
15	171	3100.00	8.8.14	26.9.14
16	173	3150.00	27.9.14	29.9.14
17	174	1300.00	30.9.14	26.12.14
18	177	1200.00	27.12.14	26.3.15
19	4	1600.00	11.1.16	13.3.16
20	6	2440.00	14.3.16	31.3.16
	खाता 'क' रोकड़ बहीः			
21	3	2291.00	23.5.13	29.5.13
22	4	7646.00	30.5.13	31.5.13
23	6	1151.00	17.6.13	19.6.13
24	6	2841.00	19.6.13	20.6.13
25	6	2886.00	20.6.13	25.6.13
26	7	1646.00	25.6.13	26.6.13
27	7	3976.00	26.6.13	4.7.13
28	8	5391.00	4.7.13	5.7.13
29	8	5436.00	5.7.13	7.7.13
30	8	5276.00	7.7.13	8.7.13
31	9	5116.00	8.7.13	10.7.13
32	9	6076.00	10.7.13	11.7.13
33	10	5016.00	11.7.13	12.7.13
34	10	5991.00	12.7.13	17.7.13
35	11	6706.00	17.7.13	22.7.13
36	11	5365.00	22.7.13	24.7.13
37	11	3570.00	24.7.13	25.7.13
38	12	2645.00	25.7.13	9.12.13
39	21	4270.00	9.12.13	17.12.13
40	21	3420.00	17.12.13	31.12.13
41	22	2396.00	31.12.13	——

9 अनुदान का रोकड़ बही में देरी से लेखांकनः–

पंचायत के लेखाओं की जांच में पाया गया कि अधिकतर अनुदानों को जो कि विभाग द्वारा सीधे पंचायत के बैंक खाते में जमा करवाया जाता का रोकड़ बही में लेखांकन काफी देरी से किया जाता है। ऐसे कुछ उदाहरण निम्न तालिका में संकलित किए गए हैं जिनमें 21.8.14 से 16.9.14 तक जमा अनुदानों का लेखांकन 30.9.14 को किया गया है। यह एक अनुचित कार्यविधि है जिसका मुख्य कारण प्रत्येक माह पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी बना कर बैंक खाते तथा रोकड़ बही के अन्त शेष के अन्तर को स्पष्ट न करना है। अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र	अनुदान	राशि (₹)	बैंक जमा दिनांक	रो.ब. पृष्ठ	रो. ब. जमा दिनांक
1	वैटरनरी फर्मासिस्ट वेतन	25000	21.8.14	174	30.9.14
2	जलरक्षक मानदेय	2700	21.8.14	174	30.9.14
3	जलरक्षक मानदेय	2700	12.9.14	174	30.9.14
4	13वां वित्तायोग अनुदान	23502	25.8.14	174	30.9.14
5	पंचायत पदाधिकारी मानदेय	40200	16.9.14	174	30.9.14

10 प्राप्त अनुदान के लिए रसीदें जारी न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (1 से 3) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत को किसी भी स्त्रोत अथवा तरीके से प्राप्त आय/अनुदान के लिए इन नियमों में दिए गए प्रारूप–3 में रसीद जारी करनी आवश्यक है। परन्तु ग्राम पंचायत के लेखओं की जांच में पाया गया कि प्राप्त अनुदान विशेषतः आर• टी• जी• एस• बैंक प्राप्तियों के लिए किसी भी प्रकार की रसीद जारी नहीं की जाती है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करना :–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप –11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर पारित करवा लिया गया है। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

12 अनुदान की राशि ₹12.82 लाख का अवरोधनः—

पंचायत द्वारा परिशिष्ट—1 व 2 पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31—03—2016 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹12,81,688 /—की राशि उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ—साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

13 बिना बिल वाउचरों के किया गया ₹2.94 लाख का संदिग्ध व्ययः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 47 (1 व 2) के अनुसार पंचायत निधियों से किए गए प्रत्येक व्यय हेतु जो वाउचर तैयार किया जाएगा उसमें विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/प्राप्तकर्ता के बिल को सब—वाउचर के रूप में लगाया जाएगा। चयनित माह के वाउचरों की जांच में पाया गया कि रोकड़ बही में दर्ज ₹2,94,225 /—के व्यय के विरूद्ध विक्रेता अथवा आपूर्तीकर्ता के उचित आपूर्ती बिल उपलब्ध नहीं थे जिसका विवरण **परिशिष्ट—'2'** में दिया गया है। इन प्रकरणों में पंचायत द्वारा एक मुद्रित प्रोफॉर्मा, जैसा कि आमतौर पर अन्य सरकारी विभागों द्वारा आपूर्तीकर्ता के बिल के साथ विभागीय प्रयोग हेतु आवरण वाउचर (covering voucher proforma) के रूप में प्रयोग किया जाता है, में ही अपूर्तीकर्ता की रसीद दर्शाई गई है तथा पंचायत सचिव, पंचायत प्रधान तथा पंचायत सदस्यों द्वारा सत्यापित किया गया है। आपूर्तीकर्ता के बिल तथा उचित रसीद के अभाव में यह व्यय सही प्रतीत नहीं होता है। अतः इन प्रकरणों तथा इनके जैसे अन्य प्रकरणों की पंचायत द्वारा अपने स्तर पर गहन जांच करके वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए भविष्य हेतु इस कार्यविधि को तुरन्त प्रभाव से बन्द करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

14 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹1,45,085 /—के स्टाक/स्टोर का क्रय करना :—

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹1,45,085 /—के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों

के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की विशेष स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र	दिनांक	रो. ब. पृष्ठ	वा. सं.	विवरण	राशि
	मनरेगाः				
1	21.11.13	119	91	सरिया	3912.00
2	21.11.13	119	94	सरिया	3912.00
3	21.11.13	119	97	सरिया	3522.00
4	24.9.14	153	99	सरिया	6500.00
5	24.9.14	153	100	सरिया	7500.00
6	24.9.14	153	101	सरिया	6500.00
7	24.9.14	153	102	सरिया	7296.00
8	24.9.14	154	107	सीमेन्ट	6500.00
9	24.9.14	154	108	सरिया	3696.00
10	24.9.14	154	114	सीमेन्ट	6500.00
11	24.9.14	154	115	सरिया	6096.00
12	24.9.14	155	120	सीमेन्ट	6500.00
13	24.9.14	155	121	सरिया	6000.00
14	24.9.14	155	126	सीमेन्ट	19500.00
15	24.9.14	155	127	सरिया	7130.00
16	5.8.15	177	59	सरिया	7000.00
17	5.8.15	177	64	सरिया	7448.00
18	5.8.15	179	73	सरिया	7448.00
	खाता 'क' रोकड़ बहीः				
19	12.11.13	19	25	दीवार रंगाई व लिखाई	13125.00
20	22.11.13	19	27	कैनन प्रिन्टर व कम्पयूटर मदर बोर्ड मुरम्मत	9000.00
				कुल योगः—	**145085.00**

15 लॉटरी की टिकटों हेतु ₹1000/—का अनुचित भुगतानः—

पंचायत निधि के खाता 'क' की रोकड़ बही की जांच में पाया गया कि पृष्ठ 19 पर वाउचर संख्या 28 से दिनांक 22—11—2013 को ₹1000/—का भुगतान जिला रैड क्रॉस सोसायटी के वर्ष 2013 के रैफरल ड्रॉ की टिकट संख्या 51001 से 51100 की 100 टिकटों के विरूद्ध ₹10/—प्रति टिकट की दर से किया गया है। हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 8 के प्रावधानों के अनुसार यह भुगतान पंचायत निधि पर उचित प्रभार नहीं है अतः इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करते हुए निधि में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

16 व्यय सम्बन्धी अनियमितताएँः–

पंचायत निधि के खाता 'क' की रोकड़ बही के पृष्ठ 19 पर वाउचर संख्या 25 से दिनांक 12.11.13 को दर्ज ₹13125/– के व्यय की जांच के दौरान पाया गया कि यह भुगतान श्री निक्का राम को दीवारों की रंगाई व उन पर लिखाई हेतु किया गया था। परन्तु यह व्यय प्रतिपादित नियमों के अनुसार नहीं किया गया है। इस व्यय के सन्दर्भ में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैंः–

1. दीवार पर की गई लिखी गई विषय वस्तु का कोई विवरण बिल वाउचर में उपलब्ध नहीं है।
2. किस दीवार पर और कहां पर यह लिखाई की गई थी का कोई विवरण इस बिल/वाउचर में नहीं दिया गया है।
3. जिस दीवार पर यह लिखाई की गई है उसके मालिक का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया है।
4. लिखी गई विषयवस्तु कितने समय तक दीवार पर प्रदर्शित की जाएगी, इस बात का भी कोई विवरण अभिलेख में उपलब्ध नहीं है। क्योंकि मालिक के अनापत्ति प्रमाणपत्र के अभाव में तथा प्रदर्शन अवधि निर्धारित न होने के कारण दीवार मालिक उसे अपनी मर्जी से कभी भी मिटा सकता है। जिससे किया गया व्यय व्यर्थ जा सकता है।
5. लिखी गई विषय वस्तु का कोई विवरण जैसे लम्बाई चौड़ाई, लिखाई की लाइनें, दर प्रति लाईन अथवा प्रति शब्द, इत्यादि का कोई विवरण बिल वाउचरों में उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्त विसंगतियों के कारण इस व्यय की पूर्ण जांच अंकेक्षण के दौरान संभव नहीं हो पाई। अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

17 बिना भुगतान आदेश के बिलों का भुगतान करनाः–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो। परन्तु पंचायत के लेखाओं की जांच में पाया गया कि इन नियमों की पूर्ण रूप से अनुपालना नहीं की जा रही है तथा बहुत से बिलों का भुगतान बिना भुगतान आदेश पारित किए ही किया गया है। अतः इस नियम विरूद्ध की गई कार्यवाही के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य हेतु इसमें सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

18 मनरेगा अभिलेख में पाई गई त्रुटियां:–

18.1 मनरेगा अभिलेख का अपूर्ण पाया जाना:–

ग्राम रोजगार सहायक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख की जांच में पाया गया कि मनरेगा से सम्बन्धित अभिलेख का दैनिक आधार पर अद्यतन (Update) नहीं किया जा रहा है। मस्ट्रौल रजिस्टर की जांच में पाया गया कि इसमें प्रविष्टियां न तो पूर्ण की गई हैं और न ही इनका सत्यापन पंचायत प्रधान/सचिव से करवाया गया है। इसी प्रकार रोजगार कार्ड भी अधूरे पड़े हैं जिनमें कार्डधारक को उपलब्ध करवाए गए रोजगार के सन्दर्भ में नियमानुसार निर्धारित कॉलम में प्रविष्टियां नहीं की गई हैं। उदाहरण हेतु जांच में उठाए गए दो प्रकरण निम्न प्रकार से हैं जिनके सन्दर्भ में सम्बन्धित रोजगार कार्ड/रजिस्टर में कोई प्रविष्टि नहीं की गई है:–

विवरण	**1**	**2**
कार्डधारक का नाम:	तिलक राज	अमर सिंह
कार्ड क्रमांक:	0291	0348
मांगे गए रोजगार की अवधि:	16.10.13 से 30.10.13	1.4.14 से 15.4.14
दिए गए रोजगार की अवधि:	16.10.13 से 30.10.13	1.4.14 से 15.4.14
मस्ट्रौल संख्या:	2858	2

यह एक अति गम्भीर अनियमितता है तथा प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में आवश्यक कार्यवाही एवं दिशानिर्देशों हेतु लाया जाता है। इसके अतिरिक्त इस अभिलेख का पूर्ण अद्यतन (Updation) करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

18.2 कार्डधारकों को कानून के अनुसार मांगा गया रोजगार उपलब्ध न करवाने बारे:–

पंचायत सचिव/ग्राम रोजगार सहायक द्वारा **परिशिष्ट–'3'** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अंकेक्षणावधि के तीन वर्षों में मनरेगा कार्डधारकों से रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु कुल 464 आवेदन प्राप्त हुए थे। इन आवेदनों के विरूद्ध कुल 20449 दिनों का रोजगार उपलब्ध करवाया गया है जो कि मनरेगा अधिनियम में निर्धारित मानदण्डों/गारंटी से 25951 दिन कम है। इस सन्दर्भ में पंचायत द्वारा परिशिष्ट के अन्तिम कॉलम में दिया गया स्पष्टीकरण कि 'किसी भी कार्डधारक द्वारा रोजगार की मांग नहीं की गई है। उपरोक्त वर्णित 464 आवेदनों की सूचना के परस्पर विरोधी है। यह एक अति गम्भीर अनियमितता तथा मनरेगा अधिनियम की स्पष्ट अवहेलना है। अतः सारा प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में आवश्यक कार्यवाही एवं गहन जांच हेतु लाया जाता है। इस सन्दर्भ में अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

19 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियां:–

ग्राम पंचायत के लेखाओं अवधि 04/2013 से 03/2016 तक के निर्माण कार्यों के अंकेक्षण जांच हेतु निम्नलिखित कार्य चयनित किए गए थे:–

क्र	कार्य का नाम	किया गया कार्य	रो. ब. पृ.	दिनांक	कुल व्यय (₹)
	मनरेगाः				
1	भण्डारी राम सपुत्र झांगन राम के लिए वर्षा जल संग्रहण टैंक का निर्माण।	₹80000 / –के लिए कार्य स्वीकृति संख्या 6432–39 तथा मापन पुस्तिका संख्या 6462 के पृष्ठ 14–16 पर दर्ज।	109 से 124	30.12.13	79910
2	राजकीय प्राथमिक पाठशाला मन्नर से पानी के टैंक तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	₹150000 / –के लिए कार्य स्वीकृति संख्या 4289–95 तथा मापन पुस्तिका संख्या 6462 के पृष्ठ 8–12 पर दर्ज।	106 से 150	30.8.14	149687

उपरोक्त निर्माण कार्यों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं:–

19.1:– आपूर्तीकर्ता / सेवा प्रदाता के बिलों पर किए गए कार्य के सन्दर्भ में कोई विवरण नहीं दिया गया है। इस विवरण का अभाव इन बिलों को संदिग्ध बनाता है। इस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

19.2:– इन बिलों में किए गए कार्य की प्रमात्रा तथा खरीदी गई सामग्री का सत्यापन तकनीकी सहायक अथवा किसी भी अन्य जिम्मेदार पंचायत पदाधिकारी / कर्मचारी द्वारा नहीं किया गया है। जिस कारण किए गए भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है। इस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

19.3:– हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **103(4)** की अनुपालना में निर्माण कार्यों से सम्बन्धित कोई भी लेखे तथा अभिलेख हि• प्र• लोक निर्माण विभाग के लेखों के आधार पर तैयार नहीं किए गए हैं। इस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

19.4:–निर्माण कार्यों में प्रयुक्त किए जाने हेतु खरीदी गई सामग्री का लेखांकन स्टॉक रजिस्टर में किया तो गया है परन्तु यह नियमानुसार नहीं है। अतः अब हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **103(4)** की अनुपालना में मैटीरियल ऐट साईट / स्टॉक रजिस्टर को हि• प्र• लोक निर्माण विभाग के लेखों के आधार पर तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा इस त्रुटि के बारे

में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

19.5:– मापन पुस्तिकाओं में कार्य समापन दिनांक तथा कार्य पूर्ण होने के सन्दर्भ में नियमानुसार आवश्यक अन्य प्रमाण पत्र दर्ज नहीं किए गए हैं। यह एक गम्भीर अनियमितता है जिसके बारे में तथ्यपूरक स्पष्टीकरण सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए एवं भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाए।

19.6:– हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 104(2)(1) तथा 105 में पंचायत के निर्माण कार्यों के लिए निरीक्षण एवं तकनीकी मार्गदर्शन सम्बन्धी प्रतिपादित नियमों के अनुसार किए गए कार्यों की जांच सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा की जानी अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत अभिलेख तथा मापन पुस्तिकाओं में ऐसी किसी भी नमूना जांच के प्रमाण अथवा प्रमाण पत्र नहीं पाए गए हैं। यह स्पष्टतयः सिद्ध करता है कि पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों सम्बन्धी प्रतिपादित नियमों की अवहेलना की जा रही है तथा इस कार्यविधि में संदिग्धता दिखाई देती है। इस प्रकार नियमों की अवहेलना के सन्दर्भ में तथ्यपूरक स्पष्टीकरण सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए। इसके अतिरिक्त अब तक इस प्रकार से नियमविरूद्ध किए गए अनियमित निर्माण कार्यों को सक्षम उच्चाधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाने के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाए।

20 वेतन/मानदेय रजिस्टरों का निर्माण न करने बारेः–

पंचायत के अधीन रखे गए वैटरनरी फर्मासिस्ट को ₹5000/–प्रतिमास की दर से वेतन/मानदेय का भुगतान किया जाता है। इस भुगतान के सन्दर्भ में किसी प्रकार का वेतन/मानदेय रजिस्टर नहीं लगाया गया है जिससे इसकी जांच की जा सके अथवा दोहरे भुगतान की संभावना को टाला जा सके। इस चूक के सन्दर्भ में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए इस अभिलेख को प्राथमिकता के आधार पर तैयार तथा पूर्ण किया जाए तथा भविष्य में इसमें लेखांकन नियमानुसार करना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

21 स्टॉक रजिस्टरों के रख–रखाव में त्रुटियांः–

21.1 क्रय की गई सामग्री के लेखांकन हेतु स्टॉक रजिस्टरों का निर्माण न करनाः–

सरकार द्वारा सरकारी धन से खरीदे गए सामान के लेखांकन तथा भंडारण के संदर्भ में समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों तथा सर्वमान्य प्रक्रियानुसार खरीदे गए सामान का लेखांकन उनके जीवनकाल तथा उपयोग अनुरुप स्थाई अथवा अस्थाई (Consumable or Non-

consumable) सामान के रूप में अलग–अलग रजिस्टरों में किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त खरीदी गई प्रत्येक मद का इन्द्राज़ एक अलग पन्ने पर किया जाना चाहिए तथा क्रय की गई प्रत्येक वस्तु की पूर्ण मात्रा, उसका मूल्य तथा आपूर्तीकर्ता के बिल का पूर्ण विवरण भी भण्डारण पुस्तकों में लिखा जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत बैरी रज़ादियां में मनरेगा के अन्तर्गत खरीदी गई निर्माण सामग्री के अतिरिक्त अन्य योजनाओं अथवा पंचायत निधि से खरीदे गए किसी भी सामान का इन्द्राज़ किसी भी प्रकार के स्टॉक रजिस्टरों में नहीं किया जाता है। क्रय किए गए सामान का लेखांकन स्टॉक रजिस्टरों में न किए जाने के कारण पंचायत द्वारा इस प्रकार से किया गया स्मस्त व्यय अनियमित माना जाएगा तथा इस बारे में विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त तुरन्त प्रभाव से नियमानुसार अलग–अलग स्थाई व अस्थाई भन्डारण पुस्तकें लगा कर प्रत्येक मद हेतु अलग–अलग पृष्ठ आबंटित करके अंकेक्षण अवधि के दौरान क्रय किए गए समस्त सामान की प्रविष्टियाँ की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि प्रत्येक मद के सन्दर्भ में पंचायत के पास उपलब्ध मात्रा तथा शेष सम्बन्धी ब्यौरा हमेशा उपलब्ध हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

21.2 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नही किया गया है जिस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

22 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करनाः–

हि• प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **29 से 31** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नही किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र•	**रजिस्टर/अभिलेख**	**फॉर्म संख्या**	**सन्दर्भित नियम**
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर का अभिलेखन जुलाई 2014 से आरम्भ किया गया है। इससे गत अवधि के लिए यह अभिलेख उपलब्ध नहीं है।	––	103
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी	––	15(1)

5	विभिन्न अनुदानों के लैजर खाते	7	29(1)
6	क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट	8	29(4)
7	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
8	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
9	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
10	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1) (a & b)
11	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

अतः इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

23 विविध अनियमितताएः–

23.1 ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अन्तर्गत प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए एक एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जोकि नियमानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत के साथ अनुबन्ध हस्ताक्षरित करेगी तथा उस कार्य विशेष के निष्पादन की देखरेख के लिए हर तरह से उत्तरदायी होगी। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा निर्माण कार्यों का निष्पादन पंचायत द्वारा अपने ही स्तर पर करवाया जा रहा है।

23.2 निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार आयकर, बिक्री कर, लेबर सैस तथा रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की जा रही है।

23.3 पंचायत द्वारा पंचायत सदस्यों को भुगतान प्रतयेक बैठक में भाग लेने हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62(1) के अन्तर्गत सिटिंग फीस मिलती है। ग्राम पंचायत के इस फीस के भुगतान के बिलों की जांच में पाया गया कि यह भुगतान पंचायत सदस्यों के बैठक में भाग लेने सम्बन्धी अभिलेख अथवा हाजिरी विवरण के बिना ही कर दिया गया है। इसके लिए समस्त अभिलेख मात्र मानदेय रजिस्टर में ही रखा जा रहा है। अतः इस अधूरे अभिलेख के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य हेतु इसमें सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

24 **लघु आपति विवरणिका :–** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

25 **निष्कर्षः—** लेखों के रख रखाव में हि• प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अधिकतर नियमों की अनुपालना बिल्कुल भी नहीं की जा रही है। यह बात पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है तथा यह सुझाव दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में सम्बन्धित कर्मचारियों को लेखाओं का रख रखाव नियमानुसार करने हेतु आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए जाएं।

हस्ता/—

सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(12) 9/2016—खण्ड—1—6403—6406 दिनाँकः 05.12.2016
शिमला—171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत बैरी रजादियां, विकास खण्ड सदर, तहसील व जिला बिलासपुर (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या **1 (ख)** में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हि0प्र0
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सदर, तहसील व जिला बिलासपुर, हि0प्र0

हस्ता/—
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

परिशिष्ट '2'

बिना बिल वाउचरों के किया गया संदिग्ध व्यय (पैरा 13 में सन्दर्भित):–

क्र•	दिनांक	रो. ब. पृष्ठ	वा. सं.	विवरण	राशि
	मनरेगाः				
1	18.11.13	118	86	बजरी	2800.00
2	18.11.13	118	87	बजरी	2800.00
3	18.11.13	118	88	बजरी	4000.00
4	21.11.13	119	89	रेत	4260.00
5	21.11.13	119	90	रेत	4240.00
6	21.11.13	119	92	रेत	4260.00
7	21.11.13	119	93	रेत	4240.00
8	21.11.13	119	95	रेत	4800.00
9	21.11.13	119	96	रेत	4800.00
10	21.11.13	120	98	बजरी	4000.00
11	24.9.14	153	93	पत्थर	4875.00
12	24.9.14	153	94	पत्थर	4875.00
13	24.9.14	153	95	रेत	4900.00
14	24.9.14	153	96	रेत	4200.00
15	24.9.14	153	97	बजरी	3150.00
16	24.9.14	153	98	रेत	4900.00
17	24.9.14	153	103	रेत	4900.00
18	24.9.14	153	104	रेत	4900.00
19	24.9.14	153	105	बजरी	4200.00
20	24.9.14	153	106	रेत	1960.00
21	24.9.14	154	109	रेत	4900.00
22	24.9.14	154	110	रेत	4900.00
23	24.9.14	154	111	बजरी	4200.00

24	24.9.14	154	112	रेत	2800.00
25	24.9.14	154	113	बजरी	1400.00
26	24.9.14	154	116	रेत	4900.00
27	24.9.14	154	117	रेत	4900.00
28	24.9.14	154	118	बजरी	4900.00
29	24.9.14	155	122	रेत	4900.00
30	24.9.14	155	123	रेत	4900.00
31	24.9.14	155	124	रेत	3500.00
32	24.9.14	155	125	बजरी	4900.00
33	24.9.14	155	128	रेत	4900.00
34	24.9.14	156	130 से 135	निर्माण सामग्री ढुलाई	2300.00
35	5.8.15	177	60	रेत	4830.00
36	5.8.15	177	61	रेत	4900.00
37	5.8.15	177	62	रेत	4900.00
38	5.8.15	177	63	बजरी	4200.00
39	5.8.15	177	65	बजरी	4900.00
40	5.8.15	177	66	रेत	4900.00
41	5.8.15	177	67	रेत	4900.00
42	5.8.15	177	68	रेत	4900.00
43	5.8.15	177	69	रेत	700.00
44	5.8.15	177	70	बजरी	3500.00
45	5.8.15	177	71	रेत	2800.00
46	5.8.15	177	72	रेत	4200.00
47	5.8.15	179	74	रेत	4900.00
48	5.8.15	179	75	रेत	4900.00
49	5.8.15	179	76	रेत	4900.00
50	5.8.15	179	77	रेत	700.00
51	5.8.15	179	78	बजरी	4900.00
	आई डबल्यू एम पीः				
52	27.1.15	2	2	रेत व बजरी	29400.00
	खाता 'ख' रोकड़ बहीः				
53	21.11.13	157	53	रेत, बजरी व पत्थर	8620.00
54	21.11.13	157	56	रेत, बजरी व पत्थर	1440.00
	12वां व 13वां वित्तायोग रोकड़ बहीः				
55	30.8.15	41	11	रेत व बजरी	21000.00
56	30.8.15	41	12	पत्थर	18750.00
57	30.8.15	41	17	सीमेन्ट ढुलाई	3725.00
				कुल योगः	**294225.00**